राजस्थान सरकार
राजस्व(भूमि रूपान्तरण)विभाग

क्रमांक प. 2(26)राज/भू.रू./04/8 जयपुर, दिनांकः– 4.4.2007

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

राज्य सरकार से मार्गदर्शन इस बिन्दु पर चाहा जा रहा है कि पूर्व में स्थापित पेट्रोल पम्प की भूमि पर आटो एल.पी.जी. सयंत्र लगाने हेतु एन.ओ.सी. जारी करने से पूर्व भूमि का रूपान्तरण आवश्यक है अथवा नहीं?

राजस्थान भू–राजस्व(सिनेमाघर तथा पेट्रोल पम्प या चिकित्सा सुविधा स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का आवंटन, परिवर्तन, नियमन) नियम 1978 के नियम 2(ज) में पेट्रोल पम्प को परिभाषित किया गया है। पेट्रोल पम्प की परिभाषा में आटो एल.पी.जी. सयंत्र शामिल है अथवा नही, के बाबत् विधिक राय ली गई एवं विधिक राय के अनुसार आटो एल.पी.जी. सयंत्र पेट्रोल पम्प की परिभाषा में सम्मिलित है। पूर्व में स्थापित पेट्रोल पम्प की भूमि स्थल पर जहां पूर्व में भूमि का आवश्यक रूपान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा कर दिया गया है उन स्थानों पर आटो एल.पी.जी. सयंत्र स्थापित किया जा सकता है लेकिन जहां पेट्रोल पम्प के स्थान की भूमि का रूपान्तरण पूर्व में नहीं हुआ है वहां राजस्थान भू–राजस्व(सिनेमाघर तथा पेट्रोल पम्प या चिकित्सा सुविधा स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का आवंटन, परिवर्तन, नियमन) नियम 1978 के नियमों में नियमन कराने के पश्चात् ही आटो एल.पी.जी. सयंत्र स्थापित किया जा सकता है।

लेकिन जहां पर पेट्रोल पम्प उक्त नियमों के अन्तर्गत स्थापित है वहां आटो एल.पी.जी. सयंत्र लगाने के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि जिला कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से पेट्रोल पम्प एवं आटो एल.पी.जी. सयंत्र से संबंधित अन्य नियमों में एन.ओ.सी. देने की आवश्यकता है तो वह उन नियमों के अन्तर्गत जारी की जानी चाहिए।

4.4.2007
(के.जी. अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
4. इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि., जयपुर।
5. भारत पेट्रोलियम लि., जयपुर।
6. हिन्दूस्तान पेट्रोलियम लि., जयपुर।

4.4.2007
शासन उप सचिव